प्रकरण संख्या 48/2018 श्रीमती सायरी बनाम रामलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बातोलो की गुआंर में वाद वर्णित कलम संख्या 1 की भूमियां स्थित हैं, जो श्री अमरा जी के नाम दर्ज थी एवं उनके फोत होने पर उनकी पत्नी दोली के खाते व कब्जे में रही। अमरा जी के कोई पुत्र संतान नहीं होने से वादी को गोद रखा तथा वादी ने ही उनके साथ रहकर उनकी सेवा चाकरी की, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 अच्छी तरह जानती थी एवं अपने पीहर रहती थी तथा उसने वादी को कभी भाई होने से इंकार नहीं किया। दिनांक 20–07–2002 को दोली ने अपनी उक्त समस्त आराजियात की वसीयत वादी के पक्ष में कर दी, किन्तु दोली की मृत्यु होने पर भूमि सायरी के नाम आ गयी, जबकि पिछले 40–45 सालों से वादी गोद पुत्र की हैसियत से मालिक काबिज है। भूमियां सायरी के नाम दर्ज हो जाने से तथा भूमियों की कीमत बढ़ जाने से वह उन्हें विक्रय करने पर उतारू है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादी को वाद पत्र कलम संख्या 1 वर्णित भूमियों का दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम अंकित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन किया जाकर जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष उत्तर में निवेदन किया कि वह अमरा जी एक मात्र वारिस होकर उनके साथ ही रहती थी तथा उनका भरण पोषण व ईलाज आदि करवाती थी। अमरा जी की समस्त भूमियों का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत होकर उसके खातेदारी में भूमियां दर्ज हैं। वादी का उक्त भूमियों में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होते हुए भी वह प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करता है, जिससे उन्हें रोका जावे। अतः वादी का वाद खारिज	

किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

वादी द्वारा जवाबुल भी प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 23.05.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि लोक अदालत में निर्णय राजीनामें के आधार पर किये जाते हैं, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। प्रकरण में वर्ष 2013 से पॉच वर्षो तक केवल सील ही लगती रही एवं किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई तथा प्रकरण सीधे ही लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट/वादी ने गोद के आधार पर खातेदारी चाही है, जिसका निस्तारण राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में 5 वर्षो तक निरन्तर न्यायालय की छाप लगी होकर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है एवं बिना अपीलान्ट/प्रतिवादी को कोई

प्रकरण संख्या 48/2018 श्रीमती सायरी बनाम रामलाल व अन्य

सूचना दिये सीधे ही प्रकरण राजस्व न्यायालय में रखकर निर्णय पारित करते हुए अंतिम डिक्री जारी कर दी, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है एवं प्रकरण में खण्डन का जवाबदावा मौजूद होकर उसका जवाबुल जवाब भी पेश शुदा है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 48/2018 श्रीमती सायरी बनाम रामलाल व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.03 12:32:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: